

①



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1522 /अ.मंडल /अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13 /10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

28 (2) (i) निरंक

28 (2) (ii) (1) डॉ. ज्योति पाण्डेय, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द, ✓
(2) डॉ. (श्रीमती) शीला शर्मा, शासकीय महाविद्यालय, चवामहं, बेमेतरस

नवीन मला. शुक्ला
मिलाई, दुर्ग

28 (2) (iii) निरंक

28 (2) (iv) (1) डॉ. (श्रीमती) निशा शुक्ला, मिलाई महिला महाविद्यालय, मिलाई, दुर्ग
(2) श्री बनउ राम चन्द्रवशी, शासकीय महाविद्यालय, लालबहादुर नगर राजनांदगांव

28 (2) (v) (1) डॉ. आर. के. तिवारी, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. जय प्रकाश साव, शासकीय व्ही.वाय.टी. विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति ज्योति पाण्डेय, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।
नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 1523 /अ.मंडल /अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13 /10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उपकुलसचिव, (अका.)

(2)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)



क्रमांक :

1679

/अका./2014

रायपुर, दिनांक 22/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत अंग्रेजी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) निरंक
 28 (2) (ii) (1) डॉ. मीता चक्रवर्ती, शासकीय व्ही.वाय.टी. पी.जी. महाविद्यालय, दुर्ग
 ✓(2) डॉ. जया तिवारी, शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर ✓
 28 (2) (iii) निरंक
 28 (2) (iv) (1) डॉ. श्रीमती शुक्ला बनर्जी, शासकीय नागार्जुन विज्ञान महा. रायपुर
 (2) डॉ. एच.के. गरचा, शासकीय कमला देवी राठी महिला महावि. राजनांदगांव
 28 (2) (v) (1) डॉ. सुचित्रा गुप्ता, प्राध्यापक, शासकीय व्ही.वाय.टी. पी.जी. महाविद्यालय, दुर्ग
 (2) श्रीमती अमिता नरुला, सहा.प्राध्यापक, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. जया तिवारी को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1680 /अका./2014

रायपुर, दिनांक 22/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

(3)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क. 1722 अका./अ.मंडल/2014


रायपुर, दिनांक 28/10/2014

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(1) के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत संस्कृत विषय से संबंधित पाठ्यक्रम निर्धारण एवं अन्य संबंधित कार्य डॉ. सत्येन्दु शर्मा विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग शास0 दू0 ब0 महिला महाविद्यालय, रायपुर द्वारा संपादित किया जावेगा। संस्कृत विषय के पाठ्यक्रमों को प्राच्य संस्कृत अध्ययन मंडल द्वारा अनुमोदित किया जावेगा।

यह अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा संस्कृत विषय के अध्ययन मंडल के गठन की तारीख जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगी।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ.क. 1723 /अका./अ.मंडल/2014

रायपुर, दिनांक 28/10/2014

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. प्राच्य संस्कृत अध्ययन मंडल के सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्ष को
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप कुलसचिव(अका0)

क. 1722 अका./अ.मंडल/2014


रायपुर, दिनांक 28/10/2014

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(1) के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत संस्कृत विषय से संबंधित पाठ्यक्रम निर्धारण एवं अन्य संबंधित कार्य डॉ. सत्येन्दु शर्मा विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग शास0 दू0 ब0 महिला महाविद्यालय, रायपुर द्वारा संपादित किया जावेगा। संस्कृत विषय के पाठ्यक्रमों को प्राच्य संस्कृत अध्ययन मंडल द्वारा अनुमोदित किया जावेगा।

यह अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा संस्कृत विषय के अध्ययन मंडल के गठन की तारीख जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगी।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ.क. 1723 /अका./अ.मंडल/2014

रायपुर, दिनांक 28/10/2014

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. प्राच्य संस्कृत अध्ययन मंडल के सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्ष को
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप कुलसचिव(अका0)

(4)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1524/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत भाषा विज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. व्यास नारायण दुबे, प्राध्यापक, साहित्य एवं भाषा-अध्ययन शाला, पं. रविवि. रायपुर
 ✓(2) डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा, प्राध्यापक, साहित्य एवं भाषा-अध्ययन शाला, पं. रविवि. रायपुर

28 (2) (ii) निरंक

28 (2) (iii) निरंक

28 (2) (iv) निरंक

28 (2) (v) निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।
नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

पृ.क्रमांक : 1525/अ.मंडल/अका./2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1526 / अ.मंडल / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत दर्शनशास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. भगवंत सिंह, आचार्य, तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन विभाग, पं. रविवि., रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) श्रीमती आशा चौधरी, सहा. प्राध्यापक, शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव
(2) निरंक
- 28 (2) (iii) (1) डॉ. जगेलाल गहरे, एसोसिएट प्रोफेसर, तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन विभाग, पं. रविवि., रायपुर
- 28 (2) (iv) (1) डॉ. हरनाम सिंह अलरेजा, सहा. प्राध्यापक, शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव
(2) डॉ. श्रीमती रंजना शर्मा, सहा. प्राध्यापक, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (v) (1) डॉ. लक्ष्मीकांत साहू, सहा. प्राध्यापक, महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय
(2) निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. भगवंत सिंह, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है। नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 1527 / अ.मंडल / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

(5)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)




क्रमांक : 1912 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 19/11/2014

:: संशोधित अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1526/अ.मंडल/अका./2014 दिनांक 13.10.2014 के द्वारा कला संकाय के अंतर्गत दर्शनशास्त्र अध्ययन मण्डल का गठन अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना की कंडिका 28(2)(ii) में क्रमांक (1) में उल्लेखित नाम श्रीमती आशा चौधरी, सहा.प्राध्यापक, शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव के स्थान पर श्रीमती आशा चौधरी, सहा.प्राध्यापक, शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर पढ़ा एवं जाना जावे।



कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1913 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 19/11/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. अध्ययन मण्डल के संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

(6)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक-विभाग); 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)



क्रमांक :

1681

/अका./2014

रायपुर, दिनांक 22/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत प्राच्य संस्कृत (क्लासिक्स) अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. शिवेश्वर उपाध्याय, शासकीय डी.एस.व्ही. संस्कृत पीजी महावि. रायपुर
(2) डॉ. राम किशोर मिश्र, शासकीय डी.एस.व्ही. संस्कृत पीजी महावि. रायपुर
- 28 (2) (iii) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) डॉ. सुषमा तिवारी, शासकीय कमला देवी राठी महिला महावि. राजनांदगांव
(2) जे.एस. पाण्डेय, कल्याण पीजी महाविद्यालय, भिलाई नगर
- 28 (2) (v) (1) डॉ. सत्येन्दु शर्मा, शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर
(2) श्री बहुरन सिंह पटेल, शासकीय डी.एस.व्ही. संस्कृत पीजी महावि. रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. राम किशोर मिश्र को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1682 /अका./2014

रायपुर, दिनांक 22/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्ष को ।
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

7

क्रमांक : 1528/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

28 (2) (i) डॉ. श्रीमती माया वर्मा, प्राध्यापक, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

28 (2) (ii) निरंक

28 (2) (iii) निरंक

28 (2) (iv) निरंक

28 (2) (v) (1) डॉ. हरिश कुमार साहु, व्याख्याता, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

(2) श्री संतू राम कश्यप, व्याख्याता, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. श्रीमती माया वर्मा को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

पृ.क्रमांक : 1529/अ.मंडल/अका./2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरमाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1530/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत उर्दू अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) निरंक
28 (2) (ii) निरंक
28 (2) (iii) निरंक
28 (2) (iv) श्रीमती आस्मा सईद, सहा. प्राध्यापक, उर्दू, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
28 (2) (v) निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने श्रीमती आस्मा सईद, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पू. क्रमांक : 1531/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, संचानालय छत्तीसगढ़, रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

9



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1532/अ.मंडल /अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत संगीत अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

28 (2) (i) निरंक

28 (2) (ii) निरंक

28 (2) (iii) निरंक

28 (2) (iv) (1) डॉ. स्वपनिल कर्महे, शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर
(2) श्री मिलिन्द अमृतफले, सहा. प्राध्या. शास. कन्या महाविद्यालय, दुर्ग

28 (2) (v) (1) डॉ. विजय व्ही. जोशी, सहा. प्राध्यापक, शास. दू.ब. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
(2) श्रीमती रिचा ठाकुर, सहा. प्राध्यापक, शास. कन्या महाविद्यालय, दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. स्वपनिल कर्महे, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 1533/अ.मंडल /अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

10



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1534 / अ.मंडल / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत समाज शास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, प्राध्यापक, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. श्रद्धा गिरोलकर, शासकीय दू.ब.महिला महाविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. मंजु झा, शासकीय महाविद्यालय बिलाईगढ़, बलोदाबाजार
- 28 (2) (iii) (1) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) डॉ. ए. राजपुरिया, शासकीय बी.सी.एस. महाविद्यालय, धमतरी
(2) डॉ. श्रीमती गिरिश सिंह, शासकीय महाविद्यालय, लालबहादुरनगर, राजनांदगांव
- 28 (2) (v) (1) डॉ. पुष्पा तिवारी, शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. निस्तर कुजुर, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।
नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

पृ. क्रमांक : 1535 / अ.मंडल / अका. / 2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

(11)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1536/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

28 (2) (i) निरंक

28 (2) (ii) (1) डॉ. श्रीमती अंजना ठाकुर, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव
(2) डॉ. श्रीमती प्रभा वेरूलकर, शासकीय बी.सी.एस.महाविद्यालय, धमतरी

28 (2) (iii) निरंक

28 (2) (iv) (1) डॉ. अगु राम ध्रुव, शासकीय महाविद्यालय, लालबहादुरनगर, राजनांदगांव
(2) डॉ. रोहिणी मरकाम, शासकीय महिला महाविद्यालय, धमतरी

28 (2) (v) (1) डॉ. सुभाष चन्द्राकर, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. अरुणा शर्मा, शासकीय जे.वाय. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. श्रीमती अंजना ठाकुर, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।
नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

पृ. क्रमांक : 1537/अ.मंडल/अका./2014
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

12



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1538/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत अर्थशास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. अमर कांत पाण्डेय, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(3) डॉ. आर. के. ब्रम्हे, प्रवाचक, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. एम. एल. साव, शासकीय के.डी. महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव
(2) डॉ. चारुस्मिता वर्मा, शासकीय महाविद्यालय, बालोद, दुर्ग
- 28 (2) (iii) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) श्रीमती निर्मला उमरे, शासकीय शिवनाथ महाविद्यालय, राजनांदगांव
(2) श्रीमती शुभा मिश्रा, शासकीय महाविद्यालय, उत्तई, दुर्ग
- 28 (2) (v) (1) डॉ. बी. एल. सोनेकर अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. अर्चना सेठी, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. आर. के. ब्रम्हे, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।
नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

पृ.क्रमांक : 1539/अ.मंडल/अका./2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

13



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1540/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत मनोविज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. (श्रीमती) प्रोमिला सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. बंश गोपाल सिंह, आचार्य, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(3) डॉ. बशीर हसन, आचार्य, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(4) डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव, आचार्य, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(5) डॉ. मीता झा, आचार्य, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(6) डॉ. (श्रीमती) प्रभावती शुक्ला, आचार्य, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

- 28 (2) (ii) (1) डॉ. उषा महोबे, शासकीय के.डी. महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव
(2) डॉ. अनामिका मोदी, शासकीय जे.वाय. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर


28 (2) (iii) निरंक

- 28 (2) (iv) (1) डॉ. देवयानी मुखर्जी, सेंट थामस महाविद्यालय, भिलाई, दुर्ग
(2) डॉ. बसंत कुमार सोनबेर, शासकीय महाविद्यालय, कर्वधा, कबीरधाम

- 28 (2) (v) (1) डॉ. सरला द्विवेदी, शासकीय बी.सी.एस. महाविद्यालय, धमतरी
(2) डॉ. रचिता श्रीवास्तव, शासकीय व्ही.वाय.टी महाविद्यालय, दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।
नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

पं. क्रमांक : 1541/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

14



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1542/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

28 (2) (i) निरंक

28 (2) (ii) निरंक

28 (2) (iii) डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार, एसोसिएट प्राध्यापक, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

28 (2) (iv) (1) डॉ. ए. के. परसाई, सहा. प्राध्यापक, शास. छत्तीसगढ़ स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर

28 (2) (v) (1) श्री नितेश कुमार मिश्रा, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) श्री मोहित कुमार वर्मा, सहा. प्राध्यापक, जं श्री साईनाथ महाविद्यालय, परसतराई, धरसीवा, जिला-रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1543/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1544 / अ.मंडल / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

:: अधिसूचना ::


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत इतिहास अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल, अध्यक्ष, इतिहास अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) निरंक
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. रोशन आरा, शासकीय बी.सी.एस. महाविद्यालय, धमतरी
(2) डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, शासकीय व्ही.वाय.टी महाविद्यालय, दुर्ग
- 28 (2) (iii) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) डॉ. पतराम साहु, शासकीय महाविद्यालय, अमनपुर, रायपुर
(2) श्री डी.आर.राणा, शासकीय महाविद्यालय कवर्धा, कबीरधाम
- 28 (2) (v) (1) डॉ. के.आर. मण्डावी, शास. लाल चक्रधर शाह महावि. अम्बागढ़ चौकी
(2) श्री डी.एन. खुटे, सहा. प्राध्यापक, इतिहास अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1545 / अ.मंडल / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

16



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1546/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत भूगोल अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. (श्रीमती) जेड. टी. खान, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययन शाला, पं. रवि शंकरशुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. (श्रीमती) अनुसूइया बघेल, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययन शाला, पं. रवि शंकरशुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(3) डॉ. (श्रीमती) सरला शर्मा, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययन शाला, पं. रवि शंकरशुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(4) डॉ. एन.के. बाघमार, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) श्रीमती राजवंश कौर कोहली, शासकीय महाविद्यालय, कुरुद, धमतरी
(2) श्री के. के. द्विवेदी, शासकीय के.डी. महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव
- 28 (2) (iii) (1) डॉ. उमा गोले, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (iv) (1) डॉ. डी. आर. चौधरी, शासकीय महिला महाविद्यालय, धमतरी
(2) श्रीमती नीता कुमारे, शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर)
- 28 (2) (v) (1) डॉ. शीला श्रीधर, शासकीय दू.ब.महिला महाविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. ए. एस. साहु, शासकीय बी.सी.एस. महाविद्यालय, धमतरी

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. (श्रीमती) सरला शर्मा, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

पृ. क्रमांक : 1547/अ.मंडल/अका./2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

17



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क. 1716/अका./अ.मंडल/2014

रायपुर, दिनांक 28/10/2014

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(1) के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत क्षेत्रिय अध्ययन विषय से संबंधित पाठ्यक्रम निर्धारण एवं अन्य संबंधित कार्य विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, क्षेत्रिय अध्ययन विषय के विभागाध्यक्ष द्वारा संपादित किया जावेगा। क्षेत्रिय अध्ययन विषय के पाठ्यक्रमों को मानवविज्ञान अध्ययन मंडल द्वारा अनुमोदित किया जावेगा।

यह अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा क्षेत्रिय अध्ययन विषय के अध्ययन मंडल के गठन की तारीख जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क. 1717/अका./अ.मंडल/2014

रायपुर, दिनांक 28/10/2014

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर, ब्लॉक-सी-30,द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. मानवविज्ञान अध्ययन मंडल के सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्ष को
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप कुलसचिव(अका0)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1548/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत रक्षा अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

28 (2) (i) (1) निरंक

(2) निरंक

28 (2) (ii) (1) डॉ. गिरीश कांत पाण्डेय, विभागाध्यक्ष, रक्षा अध्ययन विभाग, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर

(2) निरंक

28 (2) (iii) (1) निरंक

28 (2) (iv) (1) निरंक

(2) निरंक

28 (2) (v) (1) डॉ. पी.के. कड़वे, सहायक प्राध्यापक, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर

(2) निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. गिरीश कांत पाण्डेय, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पु. क्रमांक : 1549/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1550/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिकी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. राकेश चन्द्र अग्रवाल, प्राध्यापक, भौतिक अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (2) डॉ. आर.एन. बघेल, प्राध्यापक, भौतिक अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (3) डॉ. (श्रीमती) नमिता ब्रम्हे, प्राध्यापक, भौतिक अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (4) डॉ. डी.पी. बिसेन, प्राध्यापक, भौतिक अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. (श्रीमती) पूर्णा बोस, प्राध्यापक, शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग
 (2) श्रीमती प्रीति बाला टांक, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव
- 28 (2) (iii) (1) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) डॉ. स्मृति अग्रवाल, शासकीय महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई
 (2) श्रीमती प्रभा वेनुगोपाल, शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (v) (1) श्री गोवर्धन यदु, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजीम
 (2) श्री संदीप कुमार सोनी, शासकीय महाविद्यालय, बालोद

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. आर.एन. बघेल, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1551/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1552/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत रसायन शास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. श्रीमती रमा पाण्डेय, आचार्य, रसायन शास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (2) डॉ. के. एस. पटेल, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (3) डॉ. के.के. घोष, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (4) डॉ. एम.के. देब, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (5) डॉ. शम्स परवेज, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (6) डॉ. श्रीमती एस.ए. भोईते, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. श्रीमती आरती गुप्ता, शास. वी.वी. पाटणकर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग
 (2) डॉ. मनिषा ~~कुमार~~, शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (iii) (1) डॉ. मनिष कुमार राय, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन शास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (iv) (1) डॉ. (श्रीमती) नीता डेनियल, शासकीय महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई
 (2) डॉ. पंकज सोनी, शासकीय महाविद्यालय, उत्तई, दुर्ग
- 28 (2) (v) (1) डॉ. पी.के. अग्निहोत्री, प्राध्यापक, शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
 (2) डॉ. एम.एल. सतनामी, सहा.प्राध्यापक, रसायन शास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. के.के. घोष को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1553/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को / 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को।
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

(21)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1554 / अ.मंडल / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

:: अधिसूचना ::


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत सांख्यिकी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. गौरीशंकर, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(3) डॉ. व्यास दुबे, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(4) डॉ. श्रीमती प्रभा रोहतगी, प्राध्यापक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (iii) (1) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (v) (1) निरंक
(2) निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. श्रीमती प्रभा रोहतगी को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1555 / अ.मंडल / अका. / 2014
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

22



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1556 / अ.मंडल / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. संजय तिवारी, प्राध्यापक, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. कविता ठाकुर, प्राध्यापक, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (iii) (1) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (v) (1) निरंक
(2) निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. कविता ठाकुर, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1557 / अ.मंडल / अका. / 2014
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

23



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

पृ. क्रमांक : 1558/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत भूविज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान, प्राध्यापक, भूविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. एस.के. पाण्डेय, प्राध्यापक, भूविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(3) डॉ. निनाद बोधनकर, प्राध्यापक, भूविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(4) डॉ. के. हरि, प्राध्यापक, भूविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. एस.एस. भदौरिया, शास. नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. एस.डी. देशमुख, शासकीय व्ही.वाय.टी. महाविद्यालय, दुर्ग
- 28 (2) (iii) (1) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (v) (1) डॉ. आर.श्रीधर राव, शास. नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
(2) निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. एस.के. पाण्डेय, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. पृ. क्रमांक : 1559/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

24



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

पृ. क्रमांक : 1560/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत गणित अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. बी. के. शर्मा, आचार्य, गणित अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. एच. के. पाठक, अध्यक्ष एवं आचार्य, गणित अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. एस.के. भट्ट, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. कु. पद्मावती, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग
- 28 (2) (iii) डॉ. बलवत सिंह ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

28 (2) (iv) (1) श्रीमती निर्मला जैन, शासकीय शिवनाथ महाविद्यालय, राजनादगांव

(2) डॉ. आर.के. वर्मा, शासकीय सी.एल.सी. महाविद्यालय, पाटन, दुर्ग

28 (2) (v) (1) डॉ. पी. ओझा, शासकीय जे. यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर

(2) नियती गुरुद्वान, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजीम

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. एच. के. पाठक को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1561/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)



क्रमांक : 1760 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक 03 / 11 / 2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|---|
| 28 (2) (i) | (1) निरंक
(2) निरंक |
| 28 (2) (ii) | (1) निरंक
(2) निरंक |
| 28 (2) (iii) | (1) डॉ. संजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, पं. र.शु. वि.वि. रायपुर |
| 28 (2) (iv) | (1) श्रीमती अमिता तेलंग, गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर
(2) श्रीमती पूजा राठी, सेंट विन्सेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर |
| 28 (2) (v) | (1) डॉ. विनोद कुमार पटले, सहायक प्राध्यापक, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
(2) डॉ. अनिल तिवारी, सहायक प्राध्यापक, दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. संजय कुमार को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1761 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक 03 / 11 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्ष को ।
4. स.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

26



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1562/अ.मंडल/अका./2014


रायपुर, दिनांक : 13 /10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान संकाय के अंतर्गत वनस्पति शास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. रेखा पिंपलगांवकर, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. जे. एन. वर्मा, शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (iii) (1) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) डॉ. उषा चंदेल, शासकीय वी.वी. पाटणकर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग
(2) स्मृति चक्रवर्ती, शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (v) (1) डॉ. श्रीमती विप्ला कोहली, शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. प्रकाश कौर सलूजा, शास. दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर
- विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. रेखा पिंपलगांवकर को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।
नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1563/अ.मंडल/अका./2014
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 13 /10/2014

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान संकाय के अंतर्गत प्राणी शास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. माया शेडपुरे, शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ.(श्रीमती) सुधा अग्रवाल, सहा. प्राध्या. भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई
- 28 (2) (iii) (1) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) डॉ. पारमिता दुबे, शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. मधुलिका डे, शासकीय महाविद्यालय, उत्तई, दुर्ग
- 28 (2) (v) (1) डॉ. रेणु माहेश्वरी, शासकीय नामार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. राजेश कुमार मिश्रा, शासकीय डी.बी.डी.के. महाविद्यालय बलौदाबाजार

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. माया शेडपुरे को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1565/अ.मंडल/अका./2014
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 13 /10/2014

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

28



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1566 / अ.मंडल / अका. / 2014 रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

:: अधिसूचना ::


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान संकाय के अंतर्गत जैविकी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. ए.के. पति, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (2) डॉ. ए.के. गुप्ता, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (3) डॉ. एस.सी. नैथानी, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (4) डॉ. श्रीमती विजया कोचे, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (5) डॉ. एस.के. प्रसाद, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (6) डॉ. आर.के. प्रधान, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 (7) डॉ. अदिती पोद्दार, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) निरंक
 (2) निरंक
- 28 (2) (iii) (1) डॉ. आरती परगनिहा, एसोसिएट प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (iv) (1) निरंक
 (2) निरंक
- 28 (2) (v) (1) डॉ. अमिया एक्का, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि०, रायपुर
 (2) निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. ए.के. गुप्ता, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1567 / अ.मंडल / अका. / 2014 रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को / 4. स.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क. 1720/अका./अ.मंडल/2014

रायपुर, दिनांक 28/10/2014

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(1) के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के जीवविज्ञान संकाय के अंतर्गत माइक्रो बायोलॉजी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम निर्धारण एवं अन्य संबंधित कार्य विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, जीवविज्ञान विषय के विभागाध्यक्ष द्वारा संपादित किया जावेगा। माइक्रो बायोलॉजी विषय के पाठ्यक्रमों को जीवविज्ञान अध्ययन मंडल द्वारा अनुमोदित किया जावेगा।

यह अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा माइक्रो बायोलॉजी विषय के अध्ययन मंडल के गठन की तारीख जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क. 1721/अका./अ.मंडल/2014

रायपुर, दिनांक 28/10/2014

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. बायोसाइंस अध्ययन मंडल के सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्ष को
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप कुलसचिव(अका0)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क.1712/अका./अ.मंडल/2014


रायपुर, दिनांक 28/10/2014

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(1) के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के लाइफ साइंस संकाय के अंतर्गत बायोकेमेस्ट्री विषय से संबंधित पाठ्यक्रम निर्धारण एवं अन्य संबंधित कार्य विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, बायोकेमेस्ट्री विषय के विभागाध्यक्ष द्वारा संपादित किया जावेगा । बायोकेमेस्ट्री विषय के पाठ्यक्रमों को बायोसाइंस अध्ययन मंडल द्वारा अनुमोदित किया जावेगा ।

यह अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा बायोकेमेस्ट्री विषय के अध्ययन मंडल के गठन की तारीख जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगी ।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ.क. 1713/अका./अ.मंडल/2014

रायपुर, दिनांक 28/10/2014

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. बायोसाइंस अध्ययन मंडल के सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्ष को
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्यवाही हेतु। उप कुलसचिव(अका)

31



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1568/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13 /10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान संकाय के अंतर्गत मानव विज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. (कु.) मिताश्री मित्रा, प्राध्यापक, मानवशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती, प्राध्यापक, मानवशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(3) डॉ. अरुण कुमार, प्राध्यापक, मानवशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (iii) (1) डॉ. अशोक कुमार प्रधान, एसोसिएट प्रोफेसर, मानवशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (iv) (1) श्री दिनेश कुमार वर्मा, आचार्य, शास. छत्तीसगढ़ स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
(2) श्रीमती संध्या अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक, शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग
- 28 (2) (v) (1) श्री जितेन्द्र कुमार प्रेमी, व्याख्याता, मानवशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. निरजा सेन, शास. जे. यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. अरुण कुमार को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1569/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13 /10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

32



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1570 / अ.मंडल / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान संकाय के अंतर्गत बायोटेक्नालॉजी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) प्रो. एस.के. जाधव प्राध्यापक, बायोटेक्नालॉजी, अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) निरंक
- 28 (2) (ii) (1) श्रीमती शिवानी शर्मा, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको, भिलाई
(2) डॉ. प्रमोद महिष, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव
- 28 (2) (iii) (1) डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी, अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (iv) (1) श्रीमती सौम्या खरे, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई दुर्ग
(2) श्रीमती सुधा वर्मा, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई, दुर्ग
- 28 (2) (v) (1) डॉ. कमलेश शुक्ला, व्याख्याता, बायोटेक्नालॉजी, अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) श्री एन.के. चंद्रवंशी, व्याख्याता, बायोटेक्नालॉजी, अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने प्रो. एस.के. जाधव को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1571 / अ.मंडल / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

33



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरमाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक :

1574/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

:: अधिसूचना ::


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के तकनिकी संकाय के अंतर्गत फार्मेसी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्राध्यापक, फार्मेसी संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. स्वर्णलता सराफ, प्राध्यापक, फार्मेसी संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (iii) (1) डॉ. (श्रीमती) प्रीति के सुरेश, प्रवाचक, फार्मेसी संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (iv) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (v) (1) डॉ. दीपेन्द्र सिंह, व्याख्याता, फार्मेसी संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. विशाल जैन, व्याख्याता, फार्मेसी संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. स्वर्णलता सराफ, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1575/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

34



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802-(अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)



क्रमांक :

1683

/अका./2014

रायपुर, दिनांक 22/10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अंतर्गत विधि अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. अब्दुल अलीम खान, प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. सी. एल. पटेल, प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) श्रीमती विनिता अग्रवाल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
(2) निरंक
- 28 (2) (iii) (1) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) श्री ए.के. तिवारी, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा
(2) श्री राघवेश पाण्डेय, शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद
- 28 (2) (v) (1) डॉ. श्रीमती प्रिया राव, विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) श्री वेणुधर रौतिया, विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. अब्दुल अलीम खान, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1684 /अका./2014

रायपुर, दिनांक 22/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्ष को ।
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1578/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13 /10/2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रबंधन संकाय के अंतर्गत प्रबंध अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. आर. पी. दास, प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (iii) (1) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) श्रीमती आरती गुप्ता, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको, भिलाई
(2) डॉ. सुसन आर. अब्राहम, सेंट थामस महाविद्यालय, रूआ बांधा, भिलाई
- 28 (2) (v) (1) डॉ. गोपाल कृष्ण देशमुख, व्याख्याता, प्रबंध संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) कु. संस्कृति जोसेफ, व्याख्याता, प्रबंध संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1579/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13 /10/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

36



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)



क्रमांक : 1758 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक 03 / 11 / 2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अंतर्गत शिक्षा अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. श्रीमती शोभा पुरकर, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर
(2) डॉ. श्रीमती एम. वाणीसुब्रामनियम, भिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई
- 28 (2) (iii) (1) डॉ. ममता गुप्ता, पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (iv) (1) डॉ. जी. पद्मा गौरी, सेंट विन्सेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर
(2) श्रीमती किरण बाला पटेल, शैल देवी महाविद्यालय, अण्डा, जिला-दुर्ग
- 28 (2) (v) (1) डॉ. श्रीमती बीना सिंह, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर
(2) श्रीमती रश्मि पटेल, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. श्रीमती एम. वाणीसुब्रामनियम को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पू. क्रमांक : 1759 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक 03 / 11 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्ष को ।
4. स.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

37



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक :

1580/अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल, प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(2) डॉ. सी. डी. आगाशे, प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(3) डॉ. राजीव चौधरी, प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (ii) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (iii) (1) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) श्री ए.के. लाजेवार, सेठ आर.सी.एस. महाविद्यालय, दुर्ग
(2) निरंक
- 28 (2) (v) (1) निरंक
(2) निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. सी.डी. अगाशे, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पु. क्रमांक :

1581 /अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 1576 /अ.मंडल/अका./2014

रायपुर, दिनांक : 13 /10/2014

:: अधिसूचना ::


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के गृह-विज्ञान संकाय के अंतर्गत गृह-विज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. ज्योति रवि तिवारी, शास. दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर
(2) श्रीमती सरोज प्रसाद, शासकीय बी.एस.एस. महाविद्यालय, धमतरी
- 28 (2) (iii) (1) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) श्रीमती ममता आर. देव, शासकीय के.डी. महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव
(2) श्रीमती पूर्णिमा साहू, शासकीय महाविद्यालय, भाटापारा
- 28 (2) (v) (1) डॉ. (श्रीमती) वंदना तिवारी, शासकीय व्ही.व्ही. पाटणकर कन्या महाविद्यालय,
दुर्म
(2) श्रीमती अनुभा झा, शास. दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. ज्योति रवि तिवारी को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1577 /अ.मंडल/अका./2014
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 13 /10/2014

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को ।
 3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
 4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

39



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक :

1572 / अ.मंडल / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अंतर्गत वाणिज्य अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) (1) निरंक
(2) निरंक
- 28 (2) (ii) (1) डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, शासकीय महाविद्यालय, भाटापारा
(2) डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (iii) (1) निरंक
- 28 (2) (iv) (1) डॉ. अनिल कुमार जैन, शासकीय महाविद्यालय वैशाली नगर, भिलाई
(2) श्री एम.एल. वर्मा, शासकीय के.डी. महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव
- 28 (2) (v) (1) डॉ. डी.के. वर्मा, शासकीय महाविद्यालय, कोहका नेवरा

(2) डॉ. एन.एस. बघेल, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर
विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1573 / अ.मंडल / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 10 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.क.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)




क्रमांक : 1912 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 19/11/2014

:: संशोधित अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1526/अ.मंडल/अका./2014 दिनांक 13.10.2014 के द्वारा कला संकाय के अंतर्गत दर्शनशास्त्र अध्ययन मण्डल का गठन अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना की कंडिका 28(2)(ii) में क्रमांक (1) में उल्लेखित नाम श्रीमती आशा चौधरी, सहा.प्राध्यापक, शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव के स्थान पर श्रीमती आशा चौधरी, सहा.प्राध्यापक, शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर पढ़ा एवं जाना जावे।



कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1913 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 19/11/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. अध्ययन मण्डल के संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)




क्रमांक : 1912 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 19/11/2014

:: संशोधित अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1526/अ.मंडल/अका./2014 दिनांक 13.10.2014 के द्वारा कला संकाय के अंतर्गत दर्शनशास्त्र अध्ययन मण्डल का गठन अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना की कंडिका 28(2)(ii) में क्रमांक (1) में उल्लेखित नाम श्रीमती आशा चौधरी, सहा.प्राध्यापक, शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव के स्थान पर श्रीमती आशा चौधरी, सहा.प्राध्यापक, शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर पढ़ा एवं जाना जावे।



कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1913 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 19/11/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. अध्ययन मण्डल के संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)




क्रमांक : 1912 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 19/11/2014

:: संशोधित अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1526/अ.मंडल/अका./2014 दिनांक 13.10.2014 के द्वारा कला संकाय के अंतर्गत दर्शनशास्त्र अध्ययन मण्डल का गठन अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना की कंडिका 28(2)(ii) में क्रमांक (1) में उल्लेखित नाम श्रीमती आशा चौधरी, सहा.प्राध्यापक, शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव के स्थान पर श्रीमती आशा चौधरी, सहा.प्राध्यापक, शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर पढ़ा एवं जाना जावे।



कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1913 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 19/11/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. अध्ययन मण्डल के संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)



क्रमांक : 1674 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक 22 / 10 / 2014

:: संशोधित अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1552/अका./2014 दिनांक 13.10.2014 के द्वारा विज्ञान संकाय के अंतर्गत रसायन शास्त्र अध्ययन मण्डल का गठन अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना की कंडिका 28(2)(ii) में क्रमांक (2) में डॉ. मनिषा शर्मा, शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर के उपनाम में संशोधित कर, निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है। इसे डॉ. मनिषा मिश्रा, शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर पढ़ा जावे।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1675 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक 22 / 10 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. अध्ययन मण्डल के संबंधित सदस्यों को ।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को ।
4. स.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय ।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)